सुभाषित *विद्वत्ता और नृपता अर्थात् विद्वान और राजाकी तुलना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि राजाकी पूजा उसके राज्यमें ही होती है किन्तु विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है।* ❑ ***नीतिशतकम्***

संसदमें प्रदर्शन

संसदमें शोरशराबे और हंगामेके बाद अब विपक्षका प्रदर्शन भी शुरू हो गया। शीतकालीन सत्रका मंगलवारको छठा दिन था और विपक्षने अडानी और संभल हिंसा प्रकरणको लेकर सदनमें प्रदर्शन किया लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टियां शामिल नहीं हुई हैं, जो इस बातका संकेत है कि विपक्षी गठबन्धन 'इण्डिया' अब दरारकी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस प्रदर्शनमें लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। सोमवारको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़लाके साथ विपक्षी नेताओंकी बैठक हुई थी, जिसमें गतिरोध दूर कर सदनको शान्तिपूर्ण ढंगसे चलानेपर सहमति बनी थी लेकिन मंगलवारको सदनकी बैठकके दौरान यह सहमति अर्थहीन हो गयी और विपक्षी दल सदनको नहीं चलाने देनेपर अड़ गये। बैठकमें विपक्षके नेताओंने कुछ मांगें रखी थीं, जिसे मान भी लिया गया लेकिन मंगलवारको जब लोकसभा और राज्यसभाकी बैठक ११ बजे शुरू हुई तो पुनः हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामेको उचित नहीं माना जा सकता। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजूने कहा कि संसद चलना बहुत जरूरी है। संसदकी कार्यवाही यदि ठीकसे नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश और विपक्षके सांसदोंको होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बिना चर्चाके भी बिल पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हालांकि ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता है। अडानी मुद्देपर रिजिजूने यह भी कहा कि यदि किसी दूसरे देशमें किसी भारतीयके खिलाफ कोर्टसे आदेश आता है तो क्या सदनमें उसकी चर्चा हमेशा जारी रहेगी? विपक्षके कई सांसद इस बातको महसूस करते हैं कि सदनको बाधित करना न तो देशहितमें है और न ही विपक्षके हितमें है। रिजिजूने आश्वस्त किया कि हम १३ और १४ दिसम्बरको लोगसभामें और १६ एवं १७ दिसम्बरको राज्यसभामें संविधानपर चर्चा करेंगे। संसदी कार्यमंत्री रिजिजूका यह आश्वासन उचित है और विपक्षको निर्धारित तिथियोंकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चित तिथियोंपर चर्चामें विपक्षको भी भागीदार बनना चाहिए। हंगामा, प्रदर्शन करनेके बजाय सदनकी कार्यवाहीको शान्तिपूर्ण ढंगसे चलानेकी दिशामें विपक्षी सदस्योंको गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। सदनके समय बहुत ही महत्वपूर्ण और बेशकीमती है। इसे बर्बाद करना उचित नहीं है। हंगामा और प्रदर्शनका औचित्य नहीं है। सदनकी कार्यवाहीको चलानेके लिए विपक्षी दलोंको सहयोग करना चाहिए। संसदके संचालनमें सत्ता और विपक्ष दोनोंकी समान जिम्मेदारी है।

विद्युत दरोंमें वृद्धि अनुचित

सस्तेमें बिजली खरीदकर कहीं ज्यादा दरोंपर उपभोक्ताओंको बिजली देनेके बाद भी बिजली कम्पनियोंका साल-दर-साल बढ़ता घाटा आश्चर्यजनक होनेके साथ सवाल भी खड़ा करता है। इसी घाटेका रोना रोकर बिजली कम्पनियां कभी पीपीपी मोडपर चलानेका फैसला करती हैं तो कभी बिजलीकी दरें बढ़ानेकी बात की जाती है, जबकि बड़े पैमानेपर हो रही बिजली चोरी और बिजली बिलकी वसूलीमें सुधारकी जगह बरती जा रही भारी लापरवाहीका नतीजा है कि प्रदेशवासियोंको विद्युत आपूर्तिपर हो रहे कुल खर्चेका एक-तिहाईसे ज्यादा यूपी पावर कारपोरेशनको नहीं मिल पा रहा है। पावर कारपोरेशनकी हालिया रिपोर्टमें पूर्वांचल डिस्कामका उदाहरण ले तो स्थिति यह है कि इस क्षेत्रमें आपूर्ति की जा रही बिजलीपर आनेवाले कुल खर्चेका लगभग ५० प्रतिशत कारपोरेशनको नहीं मिल रहा है। फिलहाल बिजली कम्पनियोंने अगले वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के लिए शनिवारको उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोगने लगभग १.१६ लाख करोड़ रुपयेका वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्तावमें बिजली खरीदनेकी लागत ९२ से ९५ हजार करोड़ रुपये आंकी गयी है। इस तरहसे आयोगको सौंपे गये मसौदेमें बिजलीकी मौजूदा दरें लागू रहनेकी स्थितिमें लगभग १३ हजार करोड़ रुपयेका राजस्व घाटा दिखाया गया है। चूंकि प्रदेशमें अब लोकसभा या विधानसभाका चुनाव नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकारको भी इस बार बिजली दरोंमें वृद्धिसे जनताकी नाराजगीका खामियाजा भुगतनेका कोई डर नहीं है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषदके अध्यक्ष अवधेश वर्माका कहना है कि बिजली कम्पनियोंपर उपभोक्ताओंका ३३१२२ करोड़ रुपये बकाया है। इस रकमकी एवजमें उन्हें बिजली दरोंमें कमीका प्रस्ताव देना चाहिए था, लेकिन बिजली कम्पनियां चोर दरवाजेसे बिजली दरोंमें इजाफा करना चाहती हैं। बिजली कम्पनियोंको नोएडा पावर कम्पनीसे सीखना चाहिए जिसपर उपभोक्ताओंका एक हजार करोड़से ज्यादाका सरप्लस निकला तो वहां दो सालमें बिजलीकी दरोंमें दस प्रतिशतकी कमी की गयी। ऐसे यह प्रक्रिया अन्य बिजली कम्पनियां क्यों नहीं लागू करतीं। बिजली चोरी रोकनेके साथ वसूलीमें सुधार आवश्यक है।

लोक संवाद

जीवनके हमसफर

महोदय,-बहुत कम ही लोग अब मिलते हैं जो मुझे पहली मुलाकातमें ही प्रभावित करते हैं। विजय उनमेंसे एक निकले। मुझे उनसे मिलना था और मैं कोई बातचीतका योजक नहीं सोच पा रहा था। वे सज्जन निर्माणमें लगे ठेकेदार हैं और मैं एक रिटायर्ड नौकरीपेशा। दोनोंमें क्या बातचीत हो सकती है। ईंट-गारा-सीमेंट-संगमरमरसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। उनसे क्या बात करूंगा। ब्लॉग और पुस्तकें, नदी और साइकिल- ये विषय हर किसीको आकर्षित नहीं करते। मैं अपनेको विजयसे मुलाकातके लिए मिसफिट पाता था परन्तु विजय जीने मुझे मेरी खोलमेंसे खींच निकाला। उनके साथ तीन-चार घंटेकी बातचीत यादगार बन गयी। विजय गंगा किनारे कोसम गांवके हैं जो ऋग्वैदिक कालमें भारतका एक महाजनपद हुआ करता था। मैं जिन गिने-चुने प्राचीन स्थलोंका भ्रमण करना चाहूंगा उनमें प्रमुख है कौशाम्बी। मैं कल्पना करता हूं कि किसी पिकअप वाहनमें अपनी साइकिल लादकर प्रयागराज उतरूंगा और वहांसे कौशाम्बी तीन-चार दिनमें साइकिलसे घूमूंगा। उसके बाद इसी तरह मुजफ्फरपुर जाकर वैशालीके भग्नावशेष देखनेकी साध है। कोसम खिराज नामक इस गांवको मैं नक्शेमें तलाशता हूं तो गांवके दो किमी परिधिमें नजर आते हैं। मैं जानता हूं कि मैं किसी कामका नहीं। नौकरशाहीमें अपने पूर्व पदपर होता तो शायद उन्हें मुझमें सहज रुचि होती। परन्तु बीता समय कहां लौटता है। फिर भी मुझमें कुछ आकर्षण शायद उन्हें नजर आया और मेरा हाथ अपने हाथमें लेकर कुछ समय मुझसे बोले बतियाये। यह भी कहा कि मुझे अपना गांव दिखाने घुमानेके लिए शीघ्र ही प्रबंध करेंगे। क्या पता वे ही निमित्त हों मेरी भारतके अतीत दर्शनकी स्वप्न यात्राको यथार्थ रूप देनेमें। मेरे पास डिनरके पूरे समय बैठे विजय बड़े धैर्यसे धीरे-धीरे भोजन करते समय मुझसे बातचीत करते रहे। कोई उकताहट नहीं थी उनमें। पाउलो कोहेलोकी किताबमें मुझे मिला था कि यदि कोई स्वप्न हम गहरेसे देखते हैं तो प्रकृति पूरी तरह साथ देती है। प्रकृति शायद विजय जीके माध्यमसे साथ देनेको तत्पर हुई है। उन्हींके सौजन्यसे यमुनाका तट और भारतके एक महत्वपूर्ण महाजनपदका अतीत दर्शन प्रारम्भ होगा। **-ज्ञानदत्त पांडेय, वाया ईमेल।**

सोशल मीडिया प्रतिबन्धकी पहल

आस्ट्रेलियामें सोलह वर्षसे कम आयुके बच्चोंके लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करनेका निर्णय अंततः वहांकी संसदमें पारित विधेयकके माध्यमसे एक विधान बन चुका है। प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीजके अनुसार सोशल मीडियापर अनेक वीडियोज और भ्रामक सूचनाएं बच्चोंके लायक नहीं होतीं।

❑ **विकेश कुमार बडोला**

आस्ट्रेलियाके प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीजके अनुसार सोशल मीडियापर ऐसे-ऐसे वीडियोज और भ्रामक सूचनाएं होती हैं, जिन्हें मैं भी नहीं देखना चाहता तो अबोध बच्चोंकी तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रधान मंत्रीके अनुसार प्रतिबंध हेतु सुनिश्चित विधान वास्तविक-व्यावहारिक रूपमें बच्चोंके माता-पिताके लिए है, क्योंकि वे मेरी ही तरह अपने बच्चोंकी ऑनलाइन सुरक्षाके संदर्भमें अत्यधिक चिंतित हैं। मैं आस्ट्रेलियाई परिवारोंको आश्वस्त करता हूं कि शासन उनके साथ है। उन्होंने प्रतिबंधके निर्णयपर स्पष्ट किया कि मैं आपके बारेमें तो नहीं जानता, किन्तु मेरे सिस्टमपर ऐसे-ऐसे वीडियोज और सूचनाएं प्रसारित होती हैं, जिन्हें मैं कदापि नहीं देखना चाहूंगा। ऐसेमें एक अबोध और अवयस्क बच्चेके मन-मस्तिष्कपर इस प्रकारके वीडियोज और सूचनाएं कैसा एवं कितना दुष्प्रभाव डालते होंगे, ये सोचकर ही चिन्ताएं बढ़ने लगती हैं। वास्तवमें टेक कम्पनियां अविश्वनीय रूपमें शक्तिशाली हैं। इनके ऐप्समें ऐसे एल्गोरिदम हैं जो लोगों को कुछ ऐसा असामाजिक-अमानवीय व्यवहार करनेके लिए उकसाते हैं, जो एक सभ्य एवं जीवंत समाजमें किसी भी स्तरपर किंचित स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। आस्ट्रेलियाके शासनका यह निर्णय विश्वमें अपनी तरहका प्रथम निर्णय है। हालांकि पूर्वमें चीन, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंडमें भी सोशल मीडियापर प्रतिबंधके नियम-कानून बन चुके हैं, किन्तु वे आस्ट्रेलियाके कठोर कानूनकी तुलनामें निष्प्रभावी ही प्रतीत होते हैं। आस्ट्रेलियाके नये कानूनके अंतर्गत १६ वर्षतकके किशोरोंके फेसबुक, एक्स, टिकटॉक एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्सके प्रयोगपर प्रतिबंध लगाया जायगा। प्रतिबंध उन युवाओंपर लागू नहीं होगा जो पहलेसे ही सोशल मीडियापर हैं। प्रतिबंध अमान्य होनेके सन्दर्भमें माता-पिताकी सहमतिके आधारपर कोई छूट नहीं होगी। कम आयुके यूजर्सकी प्रतिबंधित सोशल मीडिया ऐप्सतक पहुंचको रोकने हेतु उपाय करनेका उत्तरदायित्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्सपर होगा। यूजर्सपर किसी प्रकारका दंड नहीं लगाया जायगा। प्रतिबंधजन्य विधान लागू करनेका दायित्व देशके ई-सुरक्षा आयुक्तपर होगा। यह विधान पारित होनेके १२ माहके पश्चात् प्रभावी होगा तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयनकी समय-समयपर समीक्षा की जायगी। बारह माह बाद प्रतिबंध लागू होते ही प्रतिक्रियामें आस्ट्रेलियाके किशोरोंकी मानसिक और व्यावहारिक स्थिति क्या होगी, यह विचारणीय होगा। साथ ही यह बिन्दु भी विचारके केन्द्रमें होगा कि टेक कम्पनियोंकी आस्ट्रेलियामें प्रतिबंधजन्य विधानके संबंधमें आगामी दिनोंमें क्या प्रतिक्रिया होगी।

आस्ट्रेलिया देश भौगोलिक रूपमें विश्वका सर्वाधिक विशाल द्वीप है। विस्तृत क्षेत्र होनेके बाद भी यहांकी जनसंख्या २०२३ की गणनाके अनुसार मात्र २.६६ करोड़ है। कम जनसंख्यावाला कोई भी देश भू-राजनीतिक दशाओं एवं स्थितियोंसे अधिक प्रभावित नहीं होता। परिणामस्वरूप विश्वकी विशाल कम्पनियोंकी स्वयंको लाभान्वित करनेकी व्यापारिक नीतियां भी ऐसे देशमें सुगमतासे लागू नहीं हो पातीं। कम और सुशिक्षित जनसंख्या होनेके कारण ऐसे देशोंमें शासनके चुनाव हेतु अधिक राजनीतिक दल नामांकित नहीं होते हैं। जो प्रस्थापित दल अस्तित्वमें हैं अथवा होते हैं, उनके लिए चुनावमें भागीदारी करना और चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ होना दलगत स्वार्थ पूर्तिके लिए नहीं होता। सत्तारूढ़ दलका ध्यान हरसंभव माध्यमसे जन-कल्याणपर ही होता है। इसका प्रत्यक्ष एवं नवीन उदाहरण एंथनी अल्बनीज द्वारा सोशल मीडियापर प्रतिबंधके रूपमें स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

विगत बारह-पंद्रह वर्षोंमें पूरा विश्व इंटरनेट द्वारा परिचालित सोशल मीडियाकी व्याधिसे ग्रस्त है। आज पांच वर्षीय बच्चोंसे लेकर अस्सी-नब्बे वर्षके वृद्धजनतक मोबाइल फोनपर सुलभ सोशल मीडियाकी भिन्न-भिन्न एप्लिकेशन्स द्वारा चलनेवाले चलचित्रोंको देखकर बुरी तरह भ्रमित हो रहे हैं। चत्रचित्रगत भ्रमों द्वारा प्रकार-प्रकारके मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। भ्रमजन्य विकार बढ़ानेमें केवल चलचित्र ही नहीं अपितु भ्रामक जानकारियों एवं सूचनाओंकी भी एकसमान भूमिका है। मनुष्यगण दिनके अधिसंख्य घंटे फोनपर सोशल मीडियाके साथ व्यतीत कर रहे हैं। घर हों अथवा कार्यस्थल, सभी स्थानोंपर मोबाइल फोंसपर परिचालित सोशल मीडिया एप्लिकेशंसके साथ दिन व्यतीत करना एक स्वाभाविक चलन बन चुका है। भारतकी भांति अधिसंख्य देशोंने शासनके साथ आवश्यक कार्यों हेतु जुड़े रहनेके लिए नागरिकोंको मास्टर फोन रखकर उसपर इंटरनेट चलाये रखनेके लिए विवश कर दिया है और जो कम्पनियां फोन सहित डिजिटल गैजेट्स, इंटरनेट प्रसारण, दूरसंचारण और सोशल मीडिया एप्लिकेशंसका व्यवसाय कर रही हैं उन्होंने येन-केन-प्रकारेण विश्वके अधिसंख्य देशोंके शासनको अपने अनुसार शासन-प्रशासन परिचालित करनेके लिए बाध्य कर दिया है। पूंजीपतियों तथा शासन-प्रशासनके लिए सोशल मीडिया जहां धनार्जनका माध्यम बना हुआ है, वहीं मनुष्योंके लिए सामाजिक-पारिवारिक रूपमें यह माध्यम एक भयंकर आत्मघात बन चुका है। कुछ विशेषज्ञ इस तथ्यपर अडिग हैं कि सोशल मीडियाकी सर्वथा हानियां ही नहीं है अपितु अनेक लाभ भी हैं, किन्तु इस संदर्भमें अतिशय विचारणीय यह बिन्दु है कि जिस माध्यम द्वारा मनुष्यका स्वाभाविक-प्राकृतिक जीवन ही नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है उसमें पूंजीगत, व्यापारिक और व्यावसायिक लाभ सार्थक कैसे हो सकते हैं तथा किसके लिए होंगे।

डिजिटल वृत्ति द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक संरचना तथा दैनिक पारिवारिक-सामाजिक कार्योंसे विमुख हो रहा है। मीडिया एप्लिकेशंसका आभासी लोक उसे भौतिक जीवनके वास्तविक सत्य, कार्यों तथा दायित्वोंके साथ समायोजन करनेकी योग्यतासे विहीन कर रहा है। इस परिस्थितिमें मनुष्यगण विचित्र प्रकारके मशीनी हाव-भाव प्रदर्शित करनेवाले एक कठपुतलेके स्वरूपमें दिखाई दे रहे हैं। परिवार, समाज और मानवीय संबंधोंको सुरक्षित रखनेके लिए जितने भी मानवीय गुण और सद्गुण किसी मनुष्यमें स्वाभाविक रूपमें होते हैं, सोशल मीडियापर अधिकांश समय गुजारनेके कारण, वे सभी विकृत रूपमें ध्वस्त हो रहे हैं। जबसे सोशल मीडियाका चलन प्रारम्भ हुआ है तबसे ही परिवार और समाजमें प्रेम एवं सौहार्दके संबंध विच्छेद हो रहे हैं। मनुष्योंपर स्वार्थ और मशीनी व्यवहार हावी हो रहा है। यह दुष्प्रवृत्ति किसी भी दृष्टिसे मानवकल्याण आधारित प्रगतिका सूचक नहीं है। गत पंद्रह-बीस वर्षोंमें जन्मी तथा पली-बढ़ी पीढ़ीके सम्मुख मीडिया एप्लिकेशंसके साथ अधिक समय व्यतीत करनेका भीषण संकट उपस्थित है। अमेरिका, भारत, चीन, जापान जैसे देश जो प्रौद्योगिकीय और तकनीकी नीतियोंके बलबूते तैयार सेवाएं बेचकर लाभार्जन कर रहे हैं, उनके लिए आस्ट्रेलियाई शासनका सोशल मीडियापर प्रतिबंध लगानेका निर्णय अनुकरणीय होगा अथवा सोशल मीडियाके माध्यमसे मनुष्योंको मशीन बनाकरकी जानेवाली प्रगतिके मार्गका बाधक होगा, यह तो भविष्यमें ही निर्धारित होगा, किन्तु इतना आभास तो विश्वके सज्जनोंको हो ही गया होगा कि सोशल मीडियाके झंझावातोंके बीच अब आगे मनुष्यका जीवन प्राकृतिक स्वभाव, सहजता, सरलता एवं संतोषजनक स्थिरतासे वंचित ही होता रहेगा। सोशल मीडियाकी व्याधियोंसे ग्रस्त समाज और विशेषकर युवा पीढ़ीको देखकर तो यही प्रतीत होता है कि विज्ञानजन्य प्रगतिका मनुष्य-कल्याणका उद्देश्य दिनोंदिन निर्बल होता जा रहा है। मनुष्योंको अपने शांत मन-मस्तिषकके साथ यह समझनेकी अति आवश्यकता है कि अंततः वैज्ञानिक और अब इस समय डिजिटल प्रगतिका अंतिम उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य मनुष्यके लिए सुख, आनन्द नियोजित करना और उसके जीवनको हर दृष्टिसे सुगम बनाना रहा है तो धरातलपर देखें तो प्रगतिकी प्रतिक्रिया इस रूपमें तो बिलकुल परिलक्षित नहीं हो रही है। सोशल मीडियाकी विभिन्न एप्लिकेशंस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे चलचित्र परिचालित करनेवाले मंच, वीडियोजके वेशमें उच्छृंखलता, फूहड़ता, निर्लज्जता, अराजकता, असामाजिक मनमर्जीके निकृष्ट अड्डे बन चुके हैं। जबसे सोशल मीडिया एप्लिकेशंसने अपने मंचोंपर उपयोगकर्ता व्यक्तिके अधिक फॉलोवर्स, लाइक्स, कमंट्स, शेयर्सके आधारपर धन देनेकी व्यवस्था की है तबसे तो उच्छृंखल, फूहड़, निर्लज्ज, अराजक और असामाजिक गतिविधियोंको दिखाते-दर्शाते वीडियोजकी भरमार हो गयी है। सोशल मीडियाके संबंधमें समग्र सत्यनिष्ठ निष्कर्ष यही है कि यह एप्लिकेशंसके इस्तेमाल द्वारा ही नहीं, बल्कि उन्हें देखने, सुनने एवं उनका अंधानुकरण करनेके माध्यमसे भी भयंकर अराजकता फैला रहा है। सोशल मीडियापर नियंत्रण हेतु जो पग आस्ट्रेलियाई शासनने उठाये हैं, उनके बारेमें भारतीय शासनको भी विचार करना होगा। यदि भारत सहित विश्वके शासक सज्जनतापूर्वक विचार करेंगे तो अनुभव करेंगे कि जलवायु विकारोंका उन्मूलन करनेकी दिशामें होनेवाली उनकी अंतरराष्ट्रीय महासभाओंकी सार्थकता कहीं न कहीं सोशल मीडियापर सीमित और अल्प निर्भरतापर भी आश्रित है। यदि सोशल मीडिया सीमित और नियंत्रित उपयोग द्वारा लोगोंके साथ होगा तो उनके तन-मनके स्वास्थ्यपर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और ऐसा होगा तो लोग विश्वकी अन्य समस्याओंका समाधान करने तथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु संतुलनकी नीतियोंको क्रियान्वित करनेके लिए मानसिक-शारीरिक रूपमें अधिक सजग एवं सक्रिय होंगे।

सोशल मीडिया भयंकर अराजकता फैला रहा है। इसके नियंत्रणके लिए जो कदम आस्ट्रेलियाई शासनने उठाये हैं, उनके बारेमें भारतको भी विचार करना चाहिए। यदि भारत सहित विश्वके शासक विचार करेंगे तो अनुभव करेंगे कि जलवायु विकारोंका उन्मूलन करनेकी दिशामें होनेवाली उनकी अंतरराष्ट्रीय महासभाओंकी सार्थकता कहीं न कहीं सोशल मीडियापर सीमित और आश्रित भी है। यदि सोशल मीडिया नियंत्रित उपयोग द्वारा लोगोंके साथ होगा तो उनके स्वास्थ्यपर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होगा।

बंगलादेशमें हिन्दुओंपर अत्याचार

पड़ोसी देशोंमें हिन्दुओंपर अत्याचारकी कहानी नयी नहीं है। वर्ष १९४७ में जब भारतका विभाजन हुआ, लाखोंकी संख्यामें लोगोंने धर्मके आधारपर मुल्क बदला। भारतने अपने संविधानमें धर्म चुननेकी स्वतंत्रताको स्थान दिया है।

❑ **डा.वरिन्द्र भाटिया**

सन् १९७१ की भारत पाकिस्तान जंगके बाद हिन्दुस्तानकी बदौलत वजूदमें आये बंगलादेशमें हिन्दुओंके साथ बुरा बर्ताव हमारे देशके लिए निरन्तर चिन्ताका सबब बना हुआ है। जनसंख्याके लिहाजसे, बंगलादेश भारत और नेपालके पड़ोसी देशोंके बाद दुनियाका तीसरा सबसे बड़ा हिन्दू आबादीवाला देश है। बंगलादेशके ६४ जिलोंमेंसे ६१ में हिन्दू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन बंगलादेशमें कोई भी हिन्दूबहुल जिला नहीं है। वर्तमान बंगलादेशमें हिन्दू आबादी लगातार जनसंख्याके प्रतिशतके रूपमें घट रही है, १९४१ में २८ प्रतिशतसे १९७१ में बंगलादेशकी स्थापनाके समय १३.५ प्रतिशत हो गयी और २०२२ में और कम होकर ७.९ प्रतिशत हो गयी। बंगलादेश मुक्ति युद्धके दौरान उत्पीड़नसे बचनेके लिए लगभग ८० लाख हिन्दू भारतके विभिन्न हिस्सोंमें भाग गये। आजादीके बाद, यह पता चला कि १५ लाख हिन्दू भारतमें रह गये।

ढाका विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्री अबुल बरकतके अनुसार, १९६४ से २०१३ तक धार्मिक उत्पीड़न और भेदभावके कारण लगभग ११.३ मिलियन हिन्दुओंने बंगलादेश छोड़ दिया। उनके अनुसार औसतन हर दिन ६३२ हिन्दू देश छोड़कर चले गये और सालाना २३०,६१२ हिन्दू देश छोड़कर चले गये। पड़ोसी देशोंमें हिन्दुओंपर अत्याचारकी कहानी नयी नहीं है। वर्ष १९४७ में जब भारतका विभाजन हुआ, लाखोंकी संख्यामें हिन्दू और मुसलमानोंने धर्मके आधारपर मुल्क बदला। फिर भी कुछ मुसलमान ऐसे थे, जो भारतमें ही रह गये और इसी तरह कुछ हिन्दू पाकिस्तानमें रह गये। भारतने हिन्दू राष्ट्र बननेकी बजाय धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना पसन्द किया, ताकि भारतमें रहनेवाले अल्पसंख्यक खुदको असुरक्षित न समझें, उन्हें समान अधिकार मिलें और इसके लिए भारतने अपने संविधानमें धर्म चुननेकी स्वतंत्रताको मौलिक अधिकारोंकी सूचीमें स्थान दिया है।

भारत विभाजनसे पहले मुसलमानोंकी संख्या भारतकी कुल आबादीका दस प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर लगभग १५ प्रतिशत हो गयी है। लेकिन पाकिस्तानमें रहनेवाले हिन्दुओंकी किस्मत भारतीय मुसलमानों जैसी न तब थी, न आज है। पाकिस्तानमें बसे हिन्दुओंमेंसे लगभग ९६ फीसदी सिंध प्रान्तमें ही रहते हैं। वर्ष १९५६ में पाकिस्तानका संविधान बना और पाकिस्तान प्रगतिशील और उदारवादी विचारधाराओंको त्यागकर कट्टर देश बन गया और तभीसे अल्पसंख्यक हिन्दुओंका वहां रहना दुश्वार हो गया। बंगलादेशमें भी यह कहानी दोहराई जा रही है। देखनेमें आया है कि पाकिस्तानकी जब भी भारतके आगे दाल नहीं गलती तो सभी घटनाओंका दुष्परिणाम पाकिस्तानमें रहनेवाले हिन्दुओंको भुगतना पड़ता है। जिया-उल-हककी तानाशाहीसे लेकर अब तालिबानके अत्याचारोंतक पाकिस्तानी हिन्दुओंका जीवन दूभर ही रहा है।

कहते हैं कि आजादीके वक्त पाकिस्तानमें कुल ४२८ मंदिर थे, जिनमेंसे अब सिर्फ २६ ही बचे हैं। पाकिस्तानमें ज्यादातर हिन्दू मंदिर या गिरा दिये गये या उन्हें होटल बना दिया गया है। पाकिस्तानके नेशनल कमिशन फॉर जस्टिस एंड पीसकी वर्ष २०१२ की रिपोर्टके मुताबिक ७४ प्रतिशत हिन्दू महिलाएं यौन शोषणका शिकार होती हैं। पाकिस्तानके मानवाधिकार आयोगकी वर्ष २०१२ की रिपोर्टके मुताबिक पाकिस्तानके सिंध प्रान्तमें हर महीने २० से २५ हिन्दू लड़कियोंका अपहरण होता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जब पाकिस्तानमें जीनेके लिए हिन्दू अल्पसंख्यकोंकी अनुकूल स्थिति नहीं रही तो बंगलादेश इसका अपवाद कैसे साबित होगा और आज यही कुछ हिन्दुओंके साथ बंगलादेशमें देखनेको मिल रहा है। बंगलादेशकी वर्तमान सरकार भारतविरोधी सोचवाली है जिससे यूनुस भी अछूते नहीं हैं। यदि वे भारत हितैषी दिखना भी चाहें तो वह ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हसीना सरकारके गिरनेका बड़ा कारण उनका भारत हितैषी नजरिया था। वरना वहां सुप्रीमकोर्टका रिजर्वेशनपर फैसला आनेके बाद उनको अपदस्थ करनेका कोई कारण ही नहीं था। रिजर्वेशनके नामपर वहांके युवाओंको हथियारके रूपमें बंगलादेशी कट्टरपंथियोंने इस्तेमाल किया और हसीना सरकारको गिरा दिया। ये लोग ऐसे अवसरकी तलाशमें ही बैठे थे। खेदकी बात है कि जिस बंगलादेशको आजाद करानेके लिए हिन्दुस्तानी यानी भारतीय फौजोंने मुकाबला किया था, इसी भारतके बहुसंख्यकोंको अब वहांके हुक्मरान अपना दुश्मन क्यों मानते हैं।

जीवन्त देवी काली

❑ **निमेष शास्त्री**

रासी व्यवस्थामें देवीके कई रूपोंकी स्थापना गढ़ोंमें हुई है, जिनकी प्रतिष्ठा और मान्यता आज भी लोकमानसमें व्याप्त है। करसोग कस्बेका क्षेत्र कश्यप ऋषि रूपी कजौणी नागके अधीन है। वहीं करसोगके पश्चिमोत्तरमें पाली गढ़के अधिपति माहूंनाग है। पाली गढ़से डेढ़ सौ मीटरकी दूरीपर करसोग-बखरौट शिमला मार्गपर नालागढ़ी पड़ाव है, जहां पूर्वमें गढ़ी रही होगी। वहीं गढ़ीकी टेकरीपर देवी काली एवं विष्णु-नारायणको समर्पित मंदिर अपने गौरवमयी प्राचीन मान्यताओंके लिए विख्यात है। नालागढ़ीके निवासी शिव दयाल सकलानीको मिले दैवीय दृष्टांतसे यहां कालीका आविर्भाव हुआ। उनके घरसे कुछ ही दूरीपर जहां काली अवस्थित है, पूर्वमें किसी मंदिरका अस्तित्व नहीं था। परिवारमें असामान्य घटनाओंके होनेसे जब देवस्थानों एवं पराविद्याके जानकारोंसे कारण पूछा गया तो वहां घरके समीप कालीके होनेकी बात कही गयी। संयोगसे रोहड़ूसे सकलानीके पास काम करने आये पराविद्याके जानकारने बताया कि यहां सचमुचमें कालीकी मूर्ति दबी पड़ी है जिसे एक विशेष प्रक्रियाके द्वारा जमीनसे निकाला जायगा। इस अनुष्ठानके लिए ऊंचे शिखरोंपर उपलब्ध दैवीय शक्तिका उद्दीपन करनेवाली जड़ी-बूटीको लाकर स्थापित करना होगा। वह विलक्षण बूटी मंडीकी शिकारी, कमरूनाग एवं धौलाधार शिखरोंसे लानी होगी। अतः कमरूनागकी सघन वनाच्छादित चोटीसे विशेष अनुष्ठानके साथ बूटीको लाया गया। बूटीको एक महीनेतक चिह्नित स्थानपर पर्देमें रखकर काली भगवतीकी दबी पड़ी मूर्तिको प्रकट होनेके लिए पूजा-अर्चना की गयी। एक महीने बाद जमीनसे चतुर्भुज विलक्षण धातुकी कालीकी मूर्ति खुदाईमें प्रकट हुई। देवीने स्वप्नमें बताया कि उसका छतर आदि आभूषण भी जमीनमें दबे हैं। अतः पुनः उसी विशेष बूटीको लाकर सप्ताहभरका वही अनुष्ठान किया गया। परिणामस्वरूप लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति बाहर निकली, जिसे काली भगवतीके समीपस्थ मंदिर स्थापित कर प्रतिष्ठित किया गया। समीपस्थ गढ़ी होनेके कारण यह स्थल देव शक्तिका स्थल रहा होगा। देवी काली चतुर्भुज है और हाथोंमें आयुध धारण कर शिवको पद्दलित किये हुए है। देवीके विग्रहकी मूर्ति शिल्प उच्चकोटि की है। देवीके नयन नक्श सजीव हैं। देवी कालीने सकलानीको दृष्टांतमें बताया कि वह निरोल (पर्दे) की देवी है। अतः मंदिरमें देवी कालीकी पूजा पर्देमें होती है और वह सदैव पर्देमें रहना पसंद करती है।

पाकिस्तानकी सड़कोंपर शिया मुसलमानोंका बहता खून

❑ **आर.के.सिन्हा**

मोहम्मद अली जिन्नाने जिस इस्लामिक देश पाकिस्तानको बनवाया था, वहां मुसलमान ही अब मुसलमानोंकी जानके दुश्मन हो गये हैं। वहां सुन्नी और शिया समुदायोंके बीच हुए हालिया संघर्षमें सौसे ज्यादा लोगोंका खून बहा। हिंसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांतमें अफगानिस्तानकी सीमासे लगे कुर्रम जिलेमें हुई। सुन्नीबहुल पाकिस्तानमें २४ करोड़की आबादीमें शिया मुस्लिम लगभग १५ प्रतिशत ही हैं। पाकिस्तानमें शिया और सुन्नी मुसलमानोंके बीचका हालिया संघर्ष जटिल है, जिसके जड़ें सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक विभाजनके इतिहासपर टिकी हैं। वैसे तो कुछ कट्टरपंथी समूह तो दोनों पक्षोंमें ही मौजूद हैं जो हिंसाका इस्तेमाल करके ही अपने धार्मिक विचारोंको आगे बढ़ानेमें विश्वास रखते हैं। ये समूह साम्प्रदायिक भेदभावको बढ़ावा देते हैं और हिंसाको सही ठहराते हैं। पाकिस्तानमें सुन्नी समुदाय कतई शिया मुसलमानोंको पसंद नहीं करते। इससे साफ है कि इस्लाम अपने माननेवालोंको भी नहीं जोड़ता। हालांकि बातें बहुत होती हैं कि सारी दुनियाके मुसलमान एक हैं। लेकिन ये अपनी इस बातको तो स्वयं ही बार-बार गलत साबित करते रहते हैं।

पाकिस्तानमें शिया मस्जिदोंमें धमाके और विस्फोट होना भी आम बात हो चुकी है। पेशावरमें मई, २०२२ में शुक्रवारको जुमेकी नमाजके दौरान हुए दिल दहलानेवाले आत्मघाती बम विस्फोटमें लगभग ६० से अधिक शिया नमा